Research Paper | Literature | E-ISSN No : 2454-9916 | Volume : 4 | Issue : 3 | March 2018



मध्य प्रदेश के होल्कर साम्राज्य में गौतमाबाई (तृतीय) की भूमिका

MADHAY PARDESH KE HOLKAR SAMRAJYA ME GAUTAMABAI (TRUTIYA) KI BHUMIKA

Dr. R. L. Garg

प्राचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय, कुक्षी (म.प्र.)–454331

ABSTRACT

मल्हारराव की मृत्यु के पश्चात् महारानी गौतमाबाई (तृतीय) के सम्मुख वैधानिक सन्तान के अभाव में उत्तराधिकार की समस्या मुँह बांये खड़ी थी। इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है कि स्वर्गीय महाराजा मल्हारराव (द्वितीय) होलकर निःसंतान थे, किन्तु नवीनतम प्राप्त अभिलेखों से यह पता चलता है कि अपनी मृत्यु से लगभग तीन वर्ष पूर्व उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी।[1] नवजात शिशु का नामकरण ज्योतिषियों के विचाराधीन भी था। पुत्र प्राप्ति के इस खुशी के अवसर पर ब्रिटिश सरकार ने महाराजा मल्हारराव को एक जोड़ी शाल, एक दुपट्टा, एक साफा, दो मेहमूदी सिक्के तथा कीमखाब के वस्त्र उपहार स्वरूप प्रदान किये थे। राजमाता कृष्णाबाई तथा महारानी गौतमाबाई (तृतीय) को भी इस अवसर पर कम्पनी सरकार की ओर से एक साड़ी तथा चोली उपहार स्वरूप प्रदान किये गये थे। साथ ही नवजात शिशु को सोने के कंगन, गले की हसली तथा टोपी प्रदान की गई थी।[2]

KEYWORDS: मल्हारराव, दुपट्टा

शोध विषय की व्याख्या:
मल्हारराव की मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही महारानी गौतमाबाई ने अपनी सासू राजमाता कृष्णाबाई के परामर्श से बापू होलकर के अल्प वयस्क पुत्र को गादी के उत्तराधिकारी के रूप में गोद ले लिया था।[3] गोद लिया हुआ यह बालक लगभग चार वर्ष का था और तुकोजी (प्रथम) होलकर से तीन या चार पीढ़ी के अन्तर पर संबंधित था।[4] अवसर देखकर इन्दौर के तात्कालीक ब्रिटिश रेजीडेन्ट ने महारानी गौतमाबाई तथा राजमाता कृष्णाबाई से उत्तराधिकारी को गोद लेने तथा होलकर राज्य को भावी शासन व्यवस्था पर चर्चाऐं की। महाराजा मल्हारराव के अंतिम समय में रानी गौतमाबाई ने मंत्री अप्पाजी कृष्णराव के सम्मुख अपने मन में छुपी हुई बात को प्रकट करते हुए कहा था कि महेश्वर में बन्दी हरीराव होलकर को मल्हारराव को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जावे, किन्तु राजमाता कृष्णाबाई इस पक्ष में कदापि नहीं थी, अतः गौतमाबाई का प्रस्ताव कार्यान्वित न हो सका।[5] अन्ततः 17 जनवरी, 1834 ई. को यही अल्पवयस्क बालक महाराजा मार्तण्डराव होलकर के नाम से होलकर गादी पर बैठाया गया।[6]

- **मार्तण्डराव के राज्याभिषेक पर ब्रिटिश सरकार का रूख:**
  मार्तण्डराव के इस उत्तराधिकार के प्रश्न पर लार्ड विलियम बैंटिक ने अपनी अस्वीकृति ही जाहिर की थी। गवर्नर जनरल ने राज्याभिषेक के पूर्व ही इन्दौर के रेजीडेन्ट को यह स्पष्ट निर्देशित किया था कि वह राज्याभिषेक के अवसर पर न तो वह दरबार में उपस्थित हो और न ही ब्रिटिश सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई खिल्लत अथवा सम्मान ही प्रदर्शित किया जावे। भारत सरकार के सचिव ने भी इस विषयक इन्दौर रेजीडेन्ट को यह निर्देशित किया था कि इस उत्तराधिकार के विवादास्पद मामले में तीन व्यक्ति प्रमुख रूप से दावेदार है, अतः मामले का निर्णय जनसाधारण की इच्छा पर छोड़ देना उचित होगा।[7] अतः गादीनसीनी समारोह के कार्यक्रम में रेजीडेन्ट टी. राबिनसन बड़े ही अनमने मन से दरबार में उपस्थित हुए थे। स्पष्ट था कि वे ब्रिटिश सरकार के निर्देशों का अक्षरशः पालन कर रहे थे। अल्पवयस्क महाराजा मार्तण्डराव को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता न देना ही भावी संघर्ष का सूत्रपात सिद्ध हुआ।

- **होलकर गादी के विभिन्न दावेदार एवं गौतमाबाई के लिए धर्म संकट की स्थिति:**
  ब्रिटिश सरकार की शंका–कुशंका निर्मूल नहीं थी। मार्तण्डराव को गादी पर बैठे हुए अभी चन्द दिन ही हुए थे कि उसी अवधि में गादी के दो अन्य दावेदार प्रकट हो गये। प्रथम दावेदार विठोजी होलकर का पुत्र हरीराव होलकर था, जो महेश्वर के किले में लगभग 12–13 साल से एक बन्दी का जीवन व्यतीत कर रहा था। हरीराव की राज्य द्रोही गतिविधियों के कारण ई. 1819 से ही उसे महेश्वर के कारागार में कैद कर दिया गया।[8] तभी से हरीराव महेश्वर के कारागार में एक विवश कैदी का जीवन व्यतीत कर रहा था। गादी का दूसरा दावेदार मल्हारराव (द्वितीय) होलकर का एक अल्पवयस्क पुत्र था, जो उसके मरणोपरांत उसकी एक उपपत्नी से उत्पन्न हुआ था।[9] स्वर्गीय मल्हारराव (द्वितीय) की यह उप–पत्नी कौन थी? राजवंश में उसका पदार्पण कैसे हुआ? इस विषय में अल्पांश में ही प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध होती है। संभवतः मल्हारराव की यह उप–पत्नी खाण्डारानी के नाम से विख्यात थी।[10] उत्तराधिकार के इस विवाद में इस अल्पवयस्क पुत्र का कोई अन्य उल्लेख आगे प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अब गादी का एक मात्र दावेदार हरी होलकर ही शेष बचा।

हरीराव का राज्याभिषेक:
17 अप्रेल, गुरूवार ई. 1834 को ''यशवन्तराव सुत हरीराव'' के नाम से महाराजा हरीराव होलकर का राज्याभिषेक सम्पन्न हुआ। रेजीडेन्ट तथा उसके स्टॉफ की उपस्थिति में मार्तण्डराव के विरूद्ध हरी होलकर को राजगद्दी पर आसीन कर दिया गया। इस शुभ अवसर पर गवर्नर जनरल की ओर से ब्रिटिश रेजीडेन्ट ने महाराजा हरी होलकर को दिनांक 17 जून, 1834 ई. को एक खिल्लत प्रदान की। महाराजा हरी होलकर ने भी मैत्री एवं सम्मान स्वरूप ब्रिटिश खिल्लत के बराबर ही मूल्य की नजर ब्रिटिश रेजीडेन्ट को उपहार स्वरूप प्रदान की।[11]

ekr.Mjko dk xknh ls inP;r fd;k tkuk ,oa mlds }kjk xoujj tujy dk iLrr Áfronu:
मार्तण्ड़राव का भाग्य अतिशीघ्र ही उससे रूष्ट हो गया और दुर्भाग्य की कु दृष्टि से वह अपने आपको बचा ना पाया। मात्र तीन माह के अल्पकालीन शासन के पश्चात् उसे अपने सबल प्रतिद्वन्द्वी हरी होलकर के पक्ष में राजगादी त्याग देनी पड़ी। ऐसी विषम परिस्थितियों में उसका जीवन दूभर हो गया। उसके सम्मुख उसके जीवनवृत्ति जीवन यापन की भी गंभीर समस्या थी। अतः उसने अपने न्यायोचित दावे के लिए हरी होलकर के विरूद्ध अपने मार्तण्ड़राव के प्रतिवेदन पर ब्रिटिश सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। स्पष्ट है कि हरी होलकर को गादी पर बैठाकर ब्रिटिश मन्तव्य की पूर्ति हो चुकी थी, अतः अब वे मार्तण्ड़राव को उपेक्षित ही रखना चाहते थे। राज्याभिषेक से वंचित होते ही मार्तण्डराव के सम्मुख अपने जीवन यापन की समस्या उभरकर सामने आई। येन–केन प्रकारेण हरीराव ने इस समस्या के समाधान के लिए मार्तण्डराव के जीवन यापन की वृत्ति के लिए होलकर राज्य की ओर से 100 रुपये मासिक स्वीकृत किये, किन्तु मार्तण्ड़राव ने उसे लेने से इन्कार कर दिया।[12]

मार्तण्ड़राव के जीवनवृत्ति के प्रकरण से सम्पूर्ण होलकर राजवंश में अशान्ति व्याप्त थी। तत्कालीन रेजीडेन्ट जॉन वेक्स ने इस प्रकरण को समाप्त करने की पहल की और हरीराव से इस विषयक साक्षात्कार किया। हरीराव ने अन्ततः एक अनुबन्ध के आधार पर 500 रुपये मासिक वृत्ति के रूप में मार्तण्ड़राव को देना स्वीकार कर लिया।[13]

- **हरीराव के प्रशासन का पतन एवं राजमहल पर मकरानी आक्रमण :**
  हरीराव के शासनकाल में राज्य की आर्थिक स्थिति एकदम खोखली हो चुकी थी। उसके सम्मुख प्रशासनिक परिस्थितियां भी भीषण चुनौती थी। प्रशासन पर अभी उसकी पकड़ मजबूत भी नहीं होने पाई थी कि जनता ने उसके प्रशासन के प्रति भयंकर असंतोष व्याप्त हो गया। हरीराव की प्रशासनिक अकर्मण्यता को देखकर जनमत एक बार पुनः मार्तण्ड़राव के पक्ष प्रबल हो उठा। प्रशासनिक पदों पर मार्तण्ड़राव के समर्थकों की एक बहुत बड़ी संख्या थी, जो हरीराव के विरूद्ध जानबूझकर गड़बड़ी फैला रहे थे और असंतोष को हरीराव के विरूद्ध उभार रहे थे। 08 सितम्बर 1835 ई. को पौ फटते ही लगभग 300 मकरानियों ने राजमहल पर हमला कर दिया। इन हमलावरों मकरानियों में पदच्युत मार्तण्ड़राव के पक्ष पोषक तथा कुछ असंतुष्ट होलकर सैनिक अधिकारी भी थे।[14] मकरानियों का यह प्राणघातक हमला हरीराव तथा उसके मंत्री फानसे (फण्डसे) परिवार को जान से मार डालने के लिए किया गया था।[15] आक्रमणकर्ता मकरानियों ने सर्वप्रथम राजमहल में घुसकर राजमाता कृष्णाबाई का मौन समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा की, किन्तु वे असफल रहे, किन्तु जब इस आक्रमण की सूचना बजरंग पल्टन के सैनिकों को मिली, तो उन्होंने मकरानियों को घेरकर उनके इस आक्रमण को

विफल कर दिया तथा इस षड़यत्र में लिप्त दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया।[16]

- **edjkuh vkde.k d fo:) egkjkuh xkrekckb }kjk xouj tujy dk nh xb vkRej{kkFk f'kdk;r:**

  होलकर राज्य पर हुए इस मकरानी आक्रमण से राजवंश की महिलाऍ अत्यधिक भयभीत और चिन्ताग्रस्त हो उठी थी, अतः महारानी गौतमाबाई (तृतीय) ने इस विषयक भारत के गवर्नर जनरल को एक खरीता लिख भेजा। उन्होंने अपने इस पत्र में लिखा –''लगभग एक वर्ष पूर्व अनेक षड़यंत्रकारियों ने विद्रोह पैदा करने की कोशिश की है और इस शासन को उखाड़ फेकने के कई कुचक्र रचे हैं और वे अभी भी प्रशासन को अस्त व्यस्त करने में लगे हुए है, इनमें से कुछ विद्रोहियों ने रात के समय लगभग 400 आदमियों को साथ लेकर महल पर अचानक हमला कर दिया और दोनों पक्षों में लगभग छः घण्टों तक संघर्ष चलता रहा, किन्तु ईश्वर की कृपा से विद्रोह दबा दिया गया। इस बात की सूचना संभवतः आपको मिल चुकी होगी। रूकमाबाई से संबंधित कुछ लोग मरिया माना के नेतृत्व में अपने परिवार और बच्चों को उज्जैन में छोड़कर उपद्रव पैदा करने की दृष्टि से दक्षिण की ओर चले गये है। इस समय तक 100 घुड़सवार और 200 पैदल सैनिक वे एकत्रित कर चुके है और उनका इरादा सेना बनाने का है। ....इन षड़यंत्रकारियों को हम नहीं रोक सकते है, क्योंकि वे दूसरे (अर्थात् सिन्धिया के) की सीमा में है, जो कि कम्पनी शासन के अधीन है। .... ये विश्वासघाती शासन को पलटने के इरादे से भरे हुए है। महाराज (हरीराव) की तरफ से गनपतराव फण्डसे तथा विश्वसनीय सेठ हुकुमचंद को सारा मामला आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया है। आप इनकी बात ध्यान से सुनेंगे तथा भविष्य में ऐसा प्रबंध करेंगे कि हमारे शत्रु अपने कुकर्मों के लिए सजा पाकर इस प्रकार के अपराध से दूर रहेंगे।''[17]

mi l gkj:

इस प्रकार उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि गौतमाबाई ने अपने जीवन काल में एक कुशल मार्गदर्शक एवं सशक्त व्यक्तित्व के रूप में कार्य किया है।

संदर्भ:

1. अनन्त नारायण भागवत : होलकरांची कैफीयत – पृ. 129
2. फॉरेन पॉलीटिकल कन्सल्टेशन, 25 जून 1830, क्र. 34 – इन्दौर रेसीडेन्सी से 07 जून, 1830 ई. को भारत सरकार के सचिव सी.आर. कार्टराइट का लिखा गया पत्र क्रमांक 14
3. – वही – 12 दिस. 1833, क्र. 53 व 56
4. फॉरेन पॉलीटिकल कन्सल्टेशन, 12 दिस. 1833, क्र. 54
5. अनन्त नारायण भागवत : होलकरांची कैफीयत – पृ.129
6. फॉरेन पॉलीटिकल कन्सल्टेशन – 06 फरवरी, 1834, क्र. 69
7. व्ही.व्ही. ठाकुर : होलकर शाहीचा इतिहास (1797–1806), भाग–2, पृ. 244–45
8. मेजर बी.डी.बसु : राइज ऑफ दि क्रिश्चियन पावर इन इण्डिया – जिल्द 2, पृ. 783
9. जी.बी. मेलेसन : एन हिस्टॉरिकल स्केच ऑफ दि नेटिव्ह स्टेट ऑफ इण्डिया, पृ. 190
10. पॉलीटिकल डिस्पेच टू दि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1834 : क्र. 12 : व्हीलर : पृ.294
1. अहिल्या स्मारिका अंक 1975 – पृ. 51
12. फॉरेन पॉलीटिकल कन्सल्टेशन : 03 अप्रेल 1934 – क्र. 98–100
13. अनन्त नारायण भागवत : होलकरांची कैफीयत, पृ. 129
14. – वही –, पृ.129–30
15. – वहीं –,
16. अनन्त नारायण भागवत : होलकरांची कैफीयत, पृ. 133
17. – वहीं –,